भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1894

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

1894. श्री मनीष जायसवालः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के सुचारू और द्रुत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे दिव्यांगजनों सहित वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करने के लिए 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (इस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के सुचारू एवं त्वरित कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. मूल्यांकन और वितरण शिविर सीधे तौर पर ऐसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एलिम्को द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जहां लाभार्थियों की संख्या 1,000 से कम हो।

ii. एलिम्को, राज्य/जिला प्रशासन के सहयोग से, पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के बाद, डॉक्टरों/तकनीशियनों/अन्य पेशेवरों की एक टीम द्वारा जिले में लाभार्थियों की पहचान करता है ताकि उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और मूल्यांकन शिविरों में अपेक्षित सहायक जीवन उपकरणों की सिफारिश की जा सके। इसके बाद वितरण शिविर में चिन्हित लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए जाते हैं।

iii. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों के मूल्यांकन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) योजना के साथ अभिसरण किया गया है।

iv. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत वितरित उपकरणों की संख्या 8 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है।

v. लाभार्थियों का डेटा अर्जुन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, ताकि दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके, जिससे दिव्यांगजनों की शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके और दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सके तथा देश भर में उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2022-25 की अवधि के दौरान एडीआईपी योजना में किए गए सरलीकरण इस प्रकार हैं:

i. लाभार्थियों के लिए आय का स्व-प्रमाणन शुरू किया गया है।

ii. पुनर्वास पेशेवरों की सक्रिय केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) संख्या की शर्त रखी गई है ताकि अभ्यासरत पेशेवरों को शामिल किया जा सके। प्रयोक्ता प्रशिक्षण की शर्त भी रखी गई है ताकि लाभार्थियों को प्राप्त सहायता और उपकरणों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

iii. बच्चों को हर साल सहायक उपकरण और सहायता सामग्री उपलब्ध कराने की शर्त में 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए छूट दी गई है। इसके लिए लाभार्थियों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखा गया है, जो शारीरिक माप पर निर्भर करता है।

iv. एडीआईपी एसएसए का लाभ 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को भी दिया गया है जो विशेष स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं या एएलआईएमसीओ/एनआई/सीआरसी में पढ़ाई कर रहे हैं।

v. एडीआईपी एसएसए के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता की शर्त को छात्रों के लिए 40% तक शिथिल कर दिया गया है।

vi. उच्च स्तरीय कृत्रिम अंगों के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता की शर्त को घटाकर 40% कर दिया गया है।

vii. सहायक उपकरणों के वितरण में अधिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने तथा एडीआईपी योजना के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सीएसआर/राज्य सरकार/एमपीलैड निधि के माध्यम से वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया गया है।

viii. लाभार्थियों के मामले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

*****